P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-1* April - 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

आयु के विशेष संदर्भ में ऋण की अभिवृत्ति – एक अध्ययन

प्रतीक्षा तोमर
शोधार्थी,
गृह विज्ञान विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर ,म.प्र.

ज्योति प्रसाद
पूर्व प्राचार्या,
गृह विज्ञान विभाग,
शा.वी.आर.कॉलेज,
ग्वालियर, (म.प्र.)

सुनीता शर्मा
पूर्व प्राचार्या,
गृह विज्ञान विभाग
शा. के.आर.जी. कॉलेज,
ग्वालियर ,म.प्र.

सारांश

प्राचीनकाल में ऋण को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था परन्तु वर्तमान युग में कम आयु के व्यक्तिभी ऋण लेते हैं क्योंकि सरल किश्त अदायगी उन्हें कम आय में भी ऋण लेकर आवश्यकताओं को तत्काल पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करती है अतः प्रस्तुत शोध में आयु एवं ऋण अभिवृत्ति के संबंध को जानने का प्रयास किया गया है।

परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि विभिन्न आयु के व्यक्ति ऋण के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं।

मुख्य शब्द : ऋण, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति

प्रस्तावना

व्यवहारपरक विज्ञानों में स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक व प्रति–सांस्कृतिक समस्याओं के प्रति संबंधित व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं व मनोवृत्तियों का अध्ययन व आंकलन एक अति महत्वपूर्ण समस्या है।

यही व्यक्ति की अभिवृत्ति कहलाती है। अभिवृत्ति एक प्राणी की किसी एक विषय, वस्तु व व्यक्ति के प्रति एक विशेष अर्जित अनुभव बद्ध तथा स्थिरीकृत संवेगात्मक प्रवृत्ति होती है। फ्रीमैन के शब्दों में अभिवृत्ति एक ऐसी स्वभाविक तत्परता होती है, जिससे एक व्यक्ति कुछ विशेष स्थितियों में व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति निश्चित रूप से ऐसी अनुक्रिया करता है जोकि उसमें अधिगत हो चुकी है और जिसने अनुक्रिया का एक विशिष्ट रूप धारणा कर लिया है अभिवृत्ति अनुभव द्वारा कठिन एक मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति धनात्मक अथवा नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने की संवेगबद्ध प्रवृत्ति होती है।

थर्स्टन (1946) शब्दों में अभिवृत्ति किसी एक मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति संबंधित धनात्मक अथवा नकारात्मक भाव की मात्रा व्यक्त करती हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में विभिन्न व्यक्तियों की ऋण अभिवृत्ति को सम्मिलित किया गया है।

ऋण का साधारण अर्थ धनराशि की अदायगी है जो किसी सम्पत्ति अथवा भौतिक वस्तु के बदले प्रदान की जाती है। इसके साथ लिए गए ऋण पर निश्चित राशि प्रदान करनी पड़ती है जो ब्याज कहलाती है। ऋण किसी विशिष्ट खरीदारी हेतु लिया जाता है जो निश्चित आय से संबंधित होता है। अर्थात् आय के अनुसार ऋण प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है निश्चित शर्तो के साथ निश्चित अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है ऋण व्यक्तियों, सहकारी संस्थाओं, सरकार तथा आर्थिक संस्थाओं को दिया जा सकता है। ऋण दिए जाने वाली संस्था अर्थात् बैंक प्राप्त ब्याज से रिवेन्यु प्राप्त करते हैं।

प्रतिदर्श का चुनाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण देव प्रतिदर्श विधि को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत वृहत्तर ग्वालियर क्षेत्र के विभिन्न शासकीय तथा अशासकीय बैंकों की सूची बनाकर उनसे जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही विभिन्न स्त्री और पुरूष से संपर्क कर पूर्व से तैयार स्वनिर्मित प्रश्नावली तथा सामाजिक आर्थिक स्तर मापानी व्यक्तिगत विधि का प्रयोग कर भरवाई गई तथा ऋण लेने वाले विभिन्न वर्गो की आयु भी बात की गई।

उद्देश्य

विभिन्न आयु के व्यक्तियों की ऋण संबंधी अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

परिकल्पना

विभिन्न आयु के व्यक्तियों की ऋण संबंधी अभिवृत्ति में सार्थक अंतर पाया जायेगा।

तालिका क्र. 1

ऋण के प्रति दृष्टिकोण का आयु के अनुसार तुलनात्मक अध्ययन

आयु	बचत के प्रति दृष्टिकोण			सांख्यिकी मान्य	
	संख्या	माध्य	विचलन	t	P
30–40	129	11.51	2.59	2.013	<0.05
40–50	171	10.91	2.53		
योग	300	11.19	2.57		

निष्कर्ष

चयनित व्यक्तियों का ऋण के प्रति दृष्टिकोण का माध्य 11.19 पाया गया जो कि 30–40 वर्ष आयु में 11.51 अधिक पाया गया 40–50 वर्ष आयु की तुला में 10. 11 सांख्यिकी ऋण के प्रति दृष्टिकोण में आयु के अनुसार सार्थक अंतर पाया गया है। (t-2.013,P<0.05) उपकल्पना की ऋण के दृष्टिकोण के प्रति 30–40 वर्ष आयु और 40–50 वर्ष आयु में अंतर नहीं पाया जाता। अस्वीकृत पायी जाती है। अतः दोनों में ऋण के प्रति दृष्टिकोण में अंतर होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *बक्शी वी.के– गृह व्यवस्था एवं गृह सज्जा पंचवा संस्करण*
2. *मिश्रा आ.पी.– ''रिसर्च मैथोलॉजी कन्सेक्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली*
3. *माथुर टी.ए –''भारतीय बैंकिंग प्रणाली'' रिसर्च पब्लिकेशन, दिल्ली*